सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान के लिए कानूनी तंत्र

16 जनवरी, 2007

ज्ञान के सृजन और प्रयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान को बढ़ावा देने और इस ज्ञान को जनता के सर्वाधिक व्यापक खंडों के लाभार्थ संगत और उपयोगी अनुप्रयोगों में रूपांतरित करने की जरूरत को स्वीकार करता है। विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद आयोग को यह पता चला है कि नवाचार, सहयोग, लाइसेंस तथा वाणिज्यीकरण के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है।

अतः ऐसा कानून बनाए जाने की सिफारिश की जाती है जोकि सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान के लिए एकसमान कानूनी तंत्र का सृजन करें और विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संगठनों को स्वामित्व और पेटेंट अधिकार उपलब्ध कराएं। ऐसा करने से उनके लिए लाइसेंस व्यवस्था के माध्यम से जहां आविष्कर्ताओं को रायल्टी का एक हिस्सा प्राप्त करने की छूट होगी, इस तरह के आविष्कारों का वाणिज्यीकरण करने के लिए समर्थनकारी वातावरण का सृजन हो जाएगा। विश्वविद्यालयों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जाने और इस तरह के स्वामित्व को पेटेंट प्रणाली और बाजार के साथ जोड़ने से अनुसंधान और अधिक आकर्षक बन जाएगा और इस प्रक्रिया में भारत में अनुसंधान परिदृश्य में एक जबरदस्त बदलाव आ जाएगा। प्रस्तावित कानून में अपवादात्मक मामलों के वास्ते जिनमें सरकार को सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए "अधिकारों में अग्रता" अधिकार प्रदान किए जा सकते हैं, महत्वपूर्ण सुरक्षोपाय भी शामिल किए जाने चाहिए।

सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान से सृजित आविष्कारों के लिए नीति की एकसमानता विभिन्न पणधारियों को नीचे बताए अनुसार प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगीः

- **सरकारः** समूचे विश्व में आविष्कार के प्रयोग का गैर–एकांतिक, अहस्तांतरणीय, अप्रत्यादेय प्रदत्त लाइसेंस का अधिकार अपने पास रख सकती है। साथ ही एक प्रावधान द्वारा, जिसमें संबंधित पक्षकारों के लिए आविष्कार के प्रयोग से संबंधित मामलों के बारे में वार्षिक आधार पर सरकार को सूचित करना जरूरी होता है, उसके पास अधिनियम के कार्यान्वयन के मानीटरन करने की जिम्मेदारी और अधिकार रह सकते हैं। क्योंकि पेटेंट आवेदन–पत्र संबंधित सरकारों द्वारा दायर किए जाएंगे और उनका स्वामित्व रहेगा, इसलिए सरकार को आवेदन–पत्र दायर करने की लागत से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही सरकार को उन स्थितियों में, जिनमें पक्षकार स्वामित्व न रखने का निर्णय लेता है अथवा आवश्यक पेटेंट आवेदन–पत्र दायर करने में असफल रहता है, आविष्कार का स्वामित्व रखने का अधिकार रहेगा। अंततः सार्वजनिक हित से जुड़ी कतिपय स्थितियों में और साथ ही ऐसी अपवादात्मक स्थितियों में, सरकार को प्रदान किए गए "अधिकारों में अग्रता" अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा आदेश तत्संबंधी खतरों को कम करने में मदद करेंगे।
- **विश्वविद्यालय/आरतथाडीः** विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के लिए आय सृजक प्रोत्साहन सरकारी निधियों से किए गए अनुसंधान के लाभों के स्वामित्व और नियंत्रण में बने रहते हैं। ऐसा करने से स्वयं अपने नाम से पेटेंट दायर करने और उद्योग के साथ वाणिज्यिक प्रक्रियाओं में प्रवेश करने को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसके अलावा आविष्कारकर्ता लाइसेंसों से रायल्टियों के लाभ की हिस्सेदारी के माध्यम से समुचित रूप से पुरस्कृत होगा। प्रस्तावित कानून में ऐसा प्रावधान भी हो सकता है कि खर्चों के भुगतान के बाद किन्हीं रायल्टियों या अर्जित आय को पुनः वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा में लगा दिया जाए।
- **उद्योगः** सभी सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान के लिए एक सुस्पष्ट कानूनी स्वामित्व, एक एकसमान कानूनी अधिकार, सहयोगात्मक व्यवस्थाओं के माध्यम से वाणिज्यिक लाभ, एकांतिक लाइसेंस प्राप्त करने के अवसरों और नए आविष्कारों के नए कारोबार अवसरों के फलस्वरूप विश्वविद्यालय अनुसंधान में उद्योग सहभागिता उच्चतर मात्रा में होगी।
- **जनताः** अंततः करदाता भी, जिसके संसाधनों का प्रयोग अनुसंधान के वित्तपोषण में किया जाता है भी उत्पादों और सेवाओं का एक बार वाणिज्यीकरण किए जाने और बाजार में उनके उपलब्ध कराए जाने के बाद आविष्कारों से लाभान्वित होगा।

प्रस्तावित कानून का प्रारूप तैयार करते समय ऐसे मुद्दे, जिनकी ओर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है, इस प्रकार हैं:

- ऐसे शुद्ध अनुपातों की गणना जिनमें आय बांटी जाएगी और वास्तविक आविष्कारकर्ता सहित विभिन्न पणधारियों के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला प्रतिशत।
- जहां कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाव पैदा होते हों, वहां उन्हें समझना और ऐसी स्थितियों के लिए अपवादों का प्रावधान करना।
- ऐसी विशिष्ट मार्गनिर्देशों, नियमों और कानून के मौजूदा प्रावधानों का पता लगाना जिनकी सरकारी वित्तपोषित अनुसंधान से उभरने वाले आविष्कारों के लिए समान

कानून लाए जाने की स्थिति में अवहेलना किए जाने की जरूरत है।

- जहां कहीं लागू हो वहां एकांतिक लाइसेंस मंजूर करने को शासित करने वाली विभिन्न लाइसेंसिंग व्यवस्थाओं और एकांतिक लाइसेंस की मंजूरी को शासित करने वाली स्थितियों की शुद्ध प्रकृति स्थापित करना।
- ऐसी स्थितियां स्पष्ट करना जिनमें सरकारी हस्तक्षेपणीय उपाय के लिए "अधिकारों में अग्रता" का सहारा लेना जरूरी हो और स्वामित्व के सामान्य अधिकार संबंधी अपवादात्मक स्थितियों का स्पष्टीकरण।
- इस बात का निर्धारण करना कि क्या भारत की अपने पेटेंट और प्लांट कोटियों के प्रकाश में प्लांट की कोटियां "आविष्कारों" के क्षेत्र के अधीन आती हैं, कानून तथा प्रस्तावित अधिनियम और भारत के अपने पेटेंट और प्लांट कोटियां अधिनियमों के बीच संबंधों का विश्लेषण करना।

इस तरह के कानून के लिए पूर्वोदाहरण मौजूद हैं जैसेकि 1980 में बनाया गया पेटेंट और ट्रेडमार्क विधि संशोधन अधिनियम और आमतौर पर बाह्य–डोल अधिनियम के रूप में ज्ञात अमरीकी कानून। यह नोट करना संभवतः महत्वपूर्ण है कि बाह्य–डोल अधिनियम बनाए जाने से पहले संयुक्त राज्य में देश की संघीय एजेंसियों के पास लगभग 28000 पेटेंटों का स्वामित्व था जिनमें से वाणिज्यिक उत्पाद तैयार करने के लिए उद्योग को केवल 5 प्रतिशत का लाइसेंस प्रदान किया गया था। उपर्युक्त अधिनियम के बनाए जाने के बाद विश्वविद्यालयों द्वारा दायर किए गए और उन्हें मंजूर किए गए पेटेंटों की संख्या में, आविष्कारों के पेटेंटीकरण और लाइसेंसिंग में प्रवृत्त विश्वविद्यालयों की संख्या में और विश्वविद्यालयों द्वारा जिन नए आविष्कारों का लाइसेंस दिया गया है उनके आधार पर स्थापित की गई नई कंपनियों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। साथ ही विश्वविद्यालय अनुसंधान से उत्पन्न होने वाले आविष्कारों, प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं के रूप में नवाचारी आविष्कार भी हुए हैं। लाखों डालरों के रूप में चलने वाले आर्थिक क्रियाकलाप का सृजन हुआ है जिससे अर्थव्यवस्था में और अधिक नई नौकरियां पैदा हुई हैं।

आयोग के विचार से भारत के विशिष्ट हितों को ध्यान में रखते हुए आमतौर पर बाह्य–डोल अधिनियम की तर्ज पर एक कानून लाना जरूरी है, ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान की दूरगामी नवाचार पैदा करने, रोजगार का सृजन करने और महत्वपूर्ण आर्थिक उन्नति के एक वाहन के रूप में काम करने में मदद की जा सके।